भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4055**

(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**किसानों को संस्थागत ऋण**

4055. श्री अमर शंकर साबलेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसानों को बेहतर कृषि उपज प्राप्त होने में ऋण की बड़ी भूमिका होती है, सरकार द्वारा किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि किसानों को महाजनों और अन्य स्रोतों से ऊँची दरों पर ऋण न लेना पड़े;

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि ऋण के लिए कितनी राशि का लक्ष्य निर्धरित किया गया है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना कृषि ऋण दिया गया, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

**(क) और (ख):** सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संस्थागत ऋण का प्रवाह बढ़ाने तथा अधिकाधिक किसानों को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों को बाधामुक्त फसल ऋण प्रदान करने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* आरबीआई के निदेशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्‍सपोजर के समतुल्‍य ऋण (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, का 18% प्रदान करना आवश्‍यक है। भूमिहीन कृषि मजदूरों, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बटार्इदार किसानों सहित छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 8% का एक उप-लक्ष्‍य भी विनिर्धारित किया गया है।
* सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना आरंभ की है। यह योजना किसानों को फसलें उगाने, कटाई उपरांत व्‍ययों, उत्‍पाद विपणन ऋण; किसानों के परिवार की उपभोग संबंधी आवश्‍यकताओं; कृषि आस्तियों के रखरखाव और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी; तथा कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण आवश्‍यकता हेतु अल्‍पावधि ऋण आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम बनाती है। केसीसी योजना को अब सरलीकृत किया गया है तथा इसमें एटीएम समर्थित रूपे डेबिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एकबारगी प्रलेखीकरण, सीमा में बिल्ट-इन-लागत में वृद्धि, सीमा के भीतर अनगिनत आहरण की सुविधाएं शामिल हैं।
* किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है।
* आरबीआई ने बैंकों से 1,00,000/- रूपए तक के कृषि ऋणों को मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से मुक्‍त रखने को कहा है। छोटे तथा सीमांत किसानों, बंटाईदार किसानों तथा उन जैसे अन्‍य लोगों के लिए 50,000/- रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए भी बेबाकी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता से छूट दी गई है और इसके स्थान पर उधारकर्ता से केवल स्व-घोषणा प्राप्‍त करने की आवश्यकता है।
* छोटे, सीमांत, काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया गया है।
* सरकार प्रत्येक वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के लिए कृषि ऋण संवितरण लक्ष्य निर्धारित करती है और बैंकों ने लगातार इन लक्ष्यों को पार किया है। सरकार द्वारा कृषि ऋण हेतु वर्ष 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

**(ग):** पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित कृषि ऋणों का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा यथा सूचित राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में है।

\*\*\*\*\*

|  |
| --- |
|   **अनुबंध**  |
| **2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान कृषि ऋण संवितरण**  |
|  **(राशि लाख रुपए में)**  |
| **क्रम सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**  | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
|  **संवितरित राशि**  |  **संवितरित राशि**  |  **संवितरित राशि**  |
| 1 | दिल्ली  | 15,26,401 | 5,54,974 | 19,94,165 |
| 2 | हरियाणा  | 40,43,848 | 49,79,049 | 49,48,107 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश  | 4,96,412 | 5,12,194 | 6,11,615 |
| 4 | जम्मू एवं कश्मीर  | 76,600 | 2,76,146 | 7,29,674 |
| 5 | पंजाब  | 72,96,298 | 84,65,289 | 74,30,147 |
| 6 | राजस्थान  | 65,74,336 | 67,62,726 | 74,30,386 |
| 7 | चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र  | 2,33,992 | 1,41,536 | 1,40,595 |
|  | **उत्तरी क्षेत्र योग**  | **202,47,887** | **216,91,914** | **232,84,688** |
| 8 | अरुणाचल प्रदेश  | 4,991 | 4,282 | 13,259 |
| 9 | असम  | 2,75,103 | 3,90,548 | 6,10,207 |
| 10 | मणिपुर  | 15,255 | 15,867 | 25,112 |
| 11 | मेघालय  | 19,594 | 15,627 | 36,831 |
| 12 | मिजोरम  | 7,020 | 9,913 | 11,436 |
| 13 | नागालैण्ड  | 13,491 | 11,817 | 12,939 |
| 14 | सिक्किम  | 7,548 | 7,161 | 16,170 |
| 15 | त्रिपुरा  | 1,02,271 | 1,28,055 | 1,51,313 |
|  | **पूर्वोत्तर क्षेत्र योग**  | **4,45,273** | **5,83,270** | **8,77,266** |
| 16 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह  | 6,647 | 11,184 | 13,498 |
| 17 | बिहार  | 22,86,388 | 40,54,231 | 26,18,458 |
| 18 | झारखण्ड  | 2,51,836 | 3,66,184 | 4,37,999 |
| 19 | ओडिशा  | 17,27,058 | 20,28,270 | 21,26,496 |
| 20 | पश्चिम बंगाल  | 37,29,373 | 39,07,458 | 34,89,572 |
|  | **पूर्वी क्षेत्र योग**  | **80,01,302** | **103,67,328** | **86,86,025** |
| 21 | छत्तीसगढ़  | 7,87,201 | 7,67,426 | 12,23,742 |
| 22 | मध्य प्रदेश  | 47,04,858 | 52,10,400 | 56,14,906 |
| 23 | उत्तराखण्ड  | 5,58,647 | 5,86,938 | 6,50,543 |
| 24 | उत्तर प्रदेश  | 72,61,136 | 87,64,167 | 81,58,401 |
|  | **मध्य क्षेत्र योग**  | **133,11,842** | **153,28,931** | **156,47,593** |
| 25 | गोवा  | 77,731 | 56,711 | 1,01,128 |
| 26 | गुजरात  | 39,32,672 | 44,56,320 | 54,27,670 |
| 27 | महाराष्ट्र  | 66,82,129 | 62,77,680 | 81,38,384 |
| 28 | दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र  | 2,984 | 2,027 | 8,017 |
| 29 | दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र  | 2,605 | 645 | 3,458 |
|  | **पश्चिमी क्षेत्र योग**  | **106,98,121** | **107,93,383** | **136,78,656** |
| 30 | आन्ध्र प्रदेश  | 53,93,621 | 74,13,594 | 92,86,862 |
| 31 | तेलंगाना  | 30,51,666 | 33,32,568 | 67,88,535 |
| 32 | कर्नाटक  | 60,23,300 | 84,83,248 | 78,08,272 |
| 33 | केरल  | 57,20,901 | 43,39,237 | 67,73,876 |
| 34 | पुद्दुचेरी  | 15,93,012 | 1,08,156 | 5,29,008 |
| 35 | तमिलनाडु  | 100,22,577 | 91,09,362 | 132,14,457 |
| 36 | लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र  | 23,321 | - | 327 |
|  | **दक्षिणी क्षेत्र योग**  | **318,28,398** | **327,86,166** | **444,01,339** |
|  | **सकल योग**  | **845,32,823** | **915,50,992** | **1065,75,567** |
| स्रोत: नाबार्ड  |